# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

**(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)**

**प्रकरण संख्या – 35/2018 अपील**

1. मथरा लाल पुत्र मांगीलाल तेली निवासी कोटडी जिला भीलवाडा –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा – रेस्पोडेण्ट्स

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार कोटडी दिनांक 14.02.2018 प्रकरण सं. 985/2018**

उपस्थित –

1. श्री उदयलाल जाट अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

## निर्णय

दिनांक 24.09.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू राजस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार कोटडी का बमामलें प्रकरण सं. 985/2018 निर्णय दिनांक 14.02.2018 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटडी द्वारा आराजी सं. 4788 रकबा 02 बिस्वा वाके राजस्व ग्राम कोटडी का अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 14.02.2018 पारित करने में कानूनी एवं वाकियाती त्रुटि फरमाई हैं, जो निरस्त योग्य हैं। अपीलार्थी का कब्जा अपनी स्वयं की पटटासुदा भूमि पर होकर उसी हद तक काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। जिस पर अपीलार्थी द्वारा अपने नाम से विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। किन्तु पटवारी हल्का कोटडी द्वारा ग्राम कोटडी के खसरा नं. 4788 रकबा 0.02 किस्म गै.मु. रास्ता पर अपीलार्थी का नाजायज कब्जा होना बताकर अवैध अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की जो वैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण थी। अपीलार्थी द्वारा अन्य रास्ते की भूमि पर जो कब्जा पाया गया था उसे मौके से हटा दिया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस हटाये गये कब्जे पर अपीलार्थी के कथन पर विश्वास नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण हैं। अपीलार्थी के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नही है तथा पटवारी हल्का की साक्ष्य भी अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी सिद्व नही करती है। इस हेतु अपीलार्थी को नोटिस भी पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत जारी नही किया गया था। इस कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमण के बिन्दू को सिद्व किये

बिना जो सिविल कारावास की सजा आरोपित की गयी है वह त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त योग्य हैं। वर्तमान में अपीलार्थी का मौके पर अवैध अतिक्रमण नही है। सम्पूर्ण तथाकथित अतिक्रमण को हटा दिया गया है तथा अपीलार्थी भविष्य में अतिक्रमण नही करेगा, इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय में पुनरावलोकन हेतु निवेदन किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर व उसे यथावत रखते हुये अपीलार्थी के निवेदन को अस्वीकार किया जो त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त योग्य हैं। न्याय हित में अपीलाधीन निर्णय में सिविल कारावास की सजा निरस्त योग्य है। माननीय राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय के पारित सिद्धान्तों के तहत कब्जा छोड दिये जाने की स्थिति मे सिविल कारावास जैसा कठोर दण्ड क्षम्य योग्य हैं। चूंकि कब्जा अपीलाण्ट द्वारा हटा लिया गया है एवं पेनल्टी राशि जमा हो चुकी है, इस कारण भी सहानूभूति पूर्वक अपीलार्थी सिविल कारावास की सजा को मुक्त रखे जाने योग्य होकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया है, इस आधार पर भी पारित निर्णय खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः प्रार्थना हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाते हुए सिविल कारावास के दण्ड से अपीलार्थी को मुक्त रखाये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 19.02.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गये।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटडी द्वारा आराजी सं. 4788 रकबा 02 बिस्वा वाके राजस्व ग्राम कोटडी का अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 14.02.2018 पारित करने में कानूनी एवं वाकियाती त्रुटि फरमाई हैं, जो निरस्त योग्य हैं। अपीलार्थी का कब्जा अपनी स्वयं की पटटासुदा भूमि पर होकर उसी हद तक काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। जिस पर अपीलार्थी द्वारा अपने नाम से विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। किन्तु पटवारी हल्का कोटडी द्वारा ग्राम कोटडी के खसरा नं. 4788 रकबा 0.02 किस्म गै.मु. रास्ता पर अपीलार्थी का नाजायज कब्जा होना बताकर अवैध अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की जो वैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण थी। अपीलार्थी द्वारा अन्य रास्ते की भूमि पर जो कब्जा पाया गया था उसे मौके से हटा दिया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस हटाये गये कब्जे पर अपीलार्थी के कथन पर विश्वास नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण हैं। अपीलार्थी के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नही है तथा पटवारी हल्का की साक्ष्य भी अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी सिद्व नही करती है। इस हेतु अपीलार्थी को नोटिस भी पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत जारी नही किया गया था। इस कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमण के बिन्दू को सिद्व किये बिना जो सिविल कारावास की सजा आरोपित की गयी है वह त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त

योग्य हैं। वर्तमान में अपीलार्थी का मौके पर अवैध अतिक्रमण नही है। सम्पूर्ण तथाकथित अतिक्रमण को हटा दिया गया है तथा अपीलार्थी भविष्य में अतिक्रमण नही करेगा, इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय में पुनरावलोकन हेतु निवेदन किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर व उसे यथावत रखते हुये अपीलार्थी के निवेदन को अस्वीकार किया जो त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त योग्य हैं। न्याय हित में अपीलाधीन निर्णय में सिविल कारावास की सजा निरस्त योग्य है। माननीय राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय के पारित सिद्धान्तों के तहत कब्जा छोड दिये जाने की स्थिति मे सिविल कारावास जैसा कठोर दण्ड क्षम्य योग्य हैं। चूंकि कब्जा अपीलाण्ट द्वारा हटा लिया गया है एवं पेनल्टी राशि जमा हो चुकी है, इस कारण भी सहानूभूति पूर्वक अपीलार्थी सिविल कारावास की सजा को मुक्त रखे जाने योग्य होकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया है, इस आधार पर भी पारित निर्णय खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः प्रार्थना हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाते हुए सिविल कारावास के दण्ड से अपीलार्थी को मुक्त रखाये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि श्री मथरा लाल पुत्र मांगीलाल तेली निवासी कोटडी के द्वारा ग्राम कोटडी के आराजी नं. 2074 रकबा 0.02 बिस्वा किस्म गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार कोटडी द्वारा प्रकरण सं. 985/2018 दर्ज कर धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर मथरा लाल पिता मांगीलाल तेली द्वारा विगत वर्ष में भी अतिक्रमण कार्यवाही में बेदखल करने पर पुनः अतिचार कर लेने से पश्चातवर्ती अतिचार करने के कारण 03 माह के सिविल कारावास एवं शास्ति 03/–रू. से दिनांक 14.02.2018 को दण्डित किया गया है जो नियमानुसार है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर न्यायालय तहसीलदार कोटडी का निर्णय यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम कोटडी तहसील कोटडी के आराजी नं. 2074 रकबा 0.02 बिस्वा किस्म गै.मु. रास्ता भूमि पर तहसीलदार कोटडी के निर्णय अनुसार अतिक्रमी का उक्त आराजियात पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने से 03 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया हैं एवं 03/– शास्ति आरोपित की गयी ।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटडी द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आराजी नं0 2074 रकबा 0.02 बिस्वा किस्म गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ 03 माह के

सिविल कारावास की सजा भुगताए जाने व उक्त भूमि के वार्षिक लगान का 50 गुणा आर्थिक जुर्माना कुल 03/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश भी पारित किया गया था। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विवादग्रस्त आराजी पर अपना पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी स्वीकार किया है। जिससे स्पष्ट हैं कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का अपराध किया है।

ग्राम कोटडी तहसील कोटडी के आराजी नं. 2074 रकबा 0.02 बिस्वा किस्म गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश से दण्डित करते हुए शास्ति का आरोपण किया जाकर 03 माह के सिविल कारावास की सजा से व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का जो आदेश पारित किया गया हैं वह युक्तियुक्त होकर विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसमे कोई त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाने योग्य हैं एवं अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है। अतएव–

## आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, कोटडी बमामले प्रकरण सं0 985/2018 निर्णय दिनांक 14.02.2018 के क्रम में खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.02.2018 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड़ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटडी को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/9/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा